



2026:AHC:49941-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19155/2025

बैजनाथ .....याची

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण इलाहाबाद एवं 5 अन्य .....विपक्षीगण

याची हेतु अधिवक्ता: ब्रजेश्वर दत्त मिश्रा, हितेश कुमार मिश्रा, विभा द्विवेदी

विपक्षी हेतु अधिवक्ता : रवि रंजन, ए.एस.जी.आई., अनीता श्रीवास्तव

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह रिट याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद ('अधिकरण') द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा याची द्वारा दायर मूल आवेदन को विलंब माफी के आवेदन के खारिज होने के कारण परिसीमा द्वारा बाधित मानकर खारिज कर दिया गया है।
2. मूल आवेदन वर्ष 2017 में आदेश दिनांक 23.03.2011 से व्यथित होकर दायर किया गया था, जिसके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाले याची के दावे को खारिज कर दिया गया था। विलंब माफी के आवेदन में यह दलील दी गई थी कि अपनी उम्मीदवारी खारिज होने के बाद याची विपक्षियों, भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रत्यावेदन देता रहा, हालांकि, जब कुछ नहीं हुआ, तो उसने अधिकरण का दरवाजा खटखटाया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 23.03.2011 को आवेदन खारिज होने के साथ ही जब 'वाद कारण' उत्पन्न हो गया था, तो याची को समय पर अधिकरण से संपर्क करना चाहिए था। बार-बार प्रत्यावेदन दिए जाने के तर्क के संबंध में, भूप सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य: (1992) 3 SCC 136 के निर्णय के आधार पर यह माना गया कि अत्यधिक और अस्पष्टीकृत विलंब या शिथिलता अपने आप में दावे के गुण-दोष पर विचार किए बिना पक्षकार को राहत देने से इनकार करने का आधार है, और परिणामस्वरूप, विलंब माफी के आवेदन के साथ-साथ मूल आवेदन को भी खारिज कर दिया गया।
4. याची के अधिवक्ता ने उन दलीलों को दोहराया कि उम्मीदवारी खारिज होने के बाद किसी ने याची को अधिकरण जाने का सुझाव नहीं दिया और वह इस संबंध में विपक्षियों और अन्य संवैधानिक अधिकारियों से संपर्क करता रहा तथा कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने मूल आवेदन दायर किया।
5. अधिकरण और इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया यह तर्क अपने आप में कोई सार नहीं रखता है, क्योंकि यह सुस्थापित है कि एक बार आदेश पारित हो जाने के बाद, केवल प्रत्यावेदन देने से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत निर्धारित परिसीमा की अवधि नहीं बढ़ जाती है।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एस. राठौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य: (1989) 4 SCC 582 के मामले में, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार व्यवस्था दी थी:—

"20. हमारा यह मत है कि वाद कारण मूल प्रतिकूल आदेश की तिथि से नहीं, बल्कि उस तिथि से उत्पन्न माना जाएगा जब उस उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है जहाँ अपील या प्रत्यावेदन का वैधानिक उपचार उपलब्ध है, और जहाँ ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, भले ही उपचार का लाभ उठाया गया हो, अपील करने या प्रत्यावेदन देने की तिथि से छह महीने की अवधि को वह तिथि माना जाएगा जब वाद कारण पहली बार उत्पन्न हुआ माना जाएगा। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह सिद्धांत तब लागू नहीं हो सकता जब उपयोग किया गया उपचार कानून द्वारा प्रदान न किया गया हो। कानून द्वारा अप्राप्त बार-बार किए गए असफल प्रत्यावेदन इस सिद्धांत के दायरे में नहीं आते हैं।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(विशेष जोर दिया गया)

7. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, विवादित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है।
8. याचिका में कोई सार नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

एस.एल./ए.के. शुक्ला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।